मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र में मोबाइल गवर्नेंस का विश्लेष्णात्मक अध्ययन

ललित कुमार[1], रोहित कुमार[2], नरेश कुमार गौतम[3]

[1]पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग (झारखण्ड) भारत
[2]परफॉर्मिंग आर्ट्स संकाय, आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग (झारखण्ड) भारत
[3]समाज कार्य विभाग, आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग (झारखण्ड) भारत

सारांश

इक्कीसवीं सदी मोबाइल संचार की सदी है। इस नवीन सूचना क्रांति ने आज सभी को पीछे छोड़ दिया है। आधुनिक मोबाइल तकनीकी के आने से सूचना क्रांति में एक नए युग की शुरूआत हुई, जिसने तमाम सीमाओं को लांघकर गांव और शहर के बीच की दूरी को कम किया है। मोबाइल का उपयोग शुरूआत में सिर्फ संचार के लिए ही होता था, लेकिन शासन–प्रशासन के तौर तरीकों में तब्दीली लाने के लिए मोबाइल को एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियां मोबाइल गवर्नेंस का उपयोग जनता तक सिर्फ जानकारी पहुंचाने के लिए ही नहीं बल्कि 'कभी भी और कहीं भी' सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, बैंकिंग और व्यवसाय आदि क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मध्यप्रदेश में मोबाइल गवर्नेंस बढ़ावा देने के लिए नए–नए मोबाइल ऐप्स का निर्माण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर और एसएमएस की मदद से मोबाइल शासन को मजबूती देने का काम कर रही है। मध्यप्रदेश, 'डिजिटल इंडिया' की तर्ज पर 'डिजिटल मध्यप्रदेश' के सपने को साकार करने के उद्देश्य से डिजिटल सेवाओं को लागू कर रहा है, ताकि प्रदेश की जनता डिजिटल रूप से डिजिटल मध्यप्रदेश की दिशा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। इसलिए नागरिकों तक मोबाइल सेवाओं को पहुँचाने के लिए राज्य में तरह तरह के मोबाइल नवाचारों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोक सेवाओं की पहुँच को व्यापक बनाना है। मध्यप्रदेश में मोबाइल ऐप्स के जरिए गवर्नेंस की भूमिका इसीलिए महत्त्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मोबाइल अकेला ऐसा माध्यम है। जिसे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करता है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सीमाओं को लांघता हुआ बड़ी तेजी से दूर–दराज के इलाकों तक अपनी पहुंच बना रहा है।

Key word: Agriculture, Communication, Governance and Mobile Technology

I प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सरकार कृषि को बढ़ावा देने के साथ–साथ फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी, भूमि एवं लघु सिंचाई कार्यक्रमों को विस्तार देने में लगी है और कृषि क्षेत्र में नई–नई टेक्नोलॉजी के विकास को देखते हुए किसानों को प्रेरित कर रही है, ताकि राज्य का किसान अच्छी फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी कर सके। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में एनजीओ की मदद से और आपसी समन्वय के आधार पर कृषि की गतिविधियों को संचालित कर रही है। अच्छी किस्म के उपकरण और बीज का उपयोग बढाने के साथ–साथ अन्य जिम्मेदारी भी किसान कल्याण और कृषि विभाग को दी गई है।

साल 2016 में "किसान सम्मान समारोह" मुख्यमंत्री आवास पर 31 जनवरी 2016 को किया गया, जिसमें प्रदेश भर के किसानों ने हिस्सा लिया। लगभग 10 किसानों को आत्मा योजना के तहत 50 हजार रूपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया हैं। आत्मा एक ऐसी सरकारी एजेंसी है जो विशेष रूप से किसानों को खेती व मौसम सम्बंधित जानकारी पंजीकृत किसानों को मोबाइल गवर्नेंस के माध्यम से समय–समय पर देती रहती है। जिसका लाभ सीधा किसानों को मिलता है और जिसके परिणाम बेहतर निकलकर सामने आ रहे है।

हाल ही में प्रदेश के सभी संभाग स्तर पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालयों में 10 संयुक्त संचालक कार्यरत हैं। हर जिला स्तर पर 51 उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय एवं 50 परियोजना संचालक (आत्मा) कार्यालय काम कर रहे हैं। प्रदेश में 19 कृषि प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें 14 केन्द्रों पर कृषि उपसंचालक एवं 5 केन्द्रों पर सहायक संचालक कृषि प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। प्रदेश में तकनीकी विषयों पर प्रचार प्रसार विभाग द्वारा सोशल मीडिया के जरिए जैसे– गूगल प्लस, फेसबुक, ट्विटर और ब्लॉग आदि का प्रयोग करने वालें किसानों को नई–नई जानकारियां भेजी जाती हैं, ताकि प्रदेश का किसान इन तकनीकों के जरिए जैविक खेती के सम्बन्ध में उपयोगी सामग्री का प्रचार–प्रसार कर सके। इसलिए सरकार ने किसानों के लिए किसान पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल किसानों को कृषि से जुडी जानकारी देने में सबसे आगे है। साल 2014 में 854 लाख, 57 हजार और दिसंबर 2015 तक 604 लाख, 21 हजार किसानों को कृषि से जुडी जानकारी मोबाइल के जरिए एसएमएस द्वारा भेजकर दी गई।

II कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी

'पूरे प्रदेश में वर्ष 2009–10 में मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की नींव रखी। प्रदेश के सभी 313 विकास खण्डों में किसान ज्ञान केन्द्रों का कुशल संचालन विभाग के सभी कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन्टरनेट कनेक्टिविटी देने का प्रावधान भी किया गया हैं। कृषि विभाग ने विभागीय पोर्टल www.mpkrishi.org की देखरेख उसके संचालन, डाटा एंट्री और मेन पॉवर संबंधी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हैं ताकि इस काम को ओर अच्छे ढंग से नियोजित किया जा सके। साल 2014–2015 में योजनाओं के जरिए कुल 421.21 रूपये 31 मार्च 2014 तक

310.73 लाख रूपये खर्च किए गए। जबकि वर्ष 2015–16 में कुल 421.01 लाख रूपये आवंटित हुए, जिसके चलते 31 दिसंबर 2015 तक लगभग 265.14 लाख रूपये खर्च किये गये' ।1

III कृषि विभाग में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस एवं एम–गवर्नेंस

'भारत सरकार की मदद से मध्यप्रदेश के कृषि विभाग में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के लिए देशभर के कुल सात राज्यों में से मध्यप्रदेश का चयन किया गया। प्रदेश में ई–प्रोजेक्ट्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए पहले से चली आ रही आधारभूत संरचनाएं जैसे– सेवा केंद्र, स्वान और स्टेट डाटा सेंटर आदि की उपलब्धता के आधार पर बनाया गया। इस योजना द्वारा किसानों को ई–गवर्नेंस के अंतर्गत कृषि के प्रसार में उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए प्रयास किए गए। कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस वर्ष 2015–16 में कुल 225.61 लाख रूपये का फिर से री–वेलिडेशन किया गया। भारत सरकार द्वारा बनाये गये किसान पोर्टल से किसानों को मोबाइल सेवा की मदद लेकर निःशुल्क हिंदी भाषा में एसएमएस भेजे जाते हैं। जिससे किसानों को विभाग की तमाम गतिविधियों की जानकारी एसएमएस के जरिए मिलती हैं। 01 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक लगभग 605.36 लाख एसएमएस भेजे गए। इसलिए विभागीय योजना को सोशल मीडिया की मदद से प्रचार प्रसारित किया जाता है' ।[2]

(क) मध्यप्रदेश : कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना

'11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मध्यप्रदेश में महिलाओं की कृषि के प्रति बढ़ती रूचि को देखकर इस योजना को 2007–08 में पूरे प्रदेश में लागू किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को अभी तक चालू रखा गया हैं। प्रदेश में महिला किसानों के स्तर में सुधार लाने की कोशिश की जा रही हैं। कृषि विभाग महिला किसानों को कृषि तकनीकी में ट्रेनिंग देता है, ताकि महिला पुरुष किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। वर्ष 2014–15 में इस योजना के लिए 400 लाख रूपये का आवंटन हुआ। मार्च 2015 तक 388.75 लाख रूपये का खर्च हुए, जबकि 2015–16 में 475 लाख का बजट आवंटित हुए लेकिन दिसंबर 2015 में कुल 411 लाख रूपये का खर्च किया गया' ।[3]

(ख) कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना

'भारत सरकार द्वारा कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश से की गई। देश के कुल 7 राज्यों में मध्यप्रदेश का चयन इस योजना के तहत किया गया कि जिससे e– Projects की आधारभूत संरचना, सेवा केंद्र, स्वान, स्टेट डाटा सेंटर आदि की उपलब्धता हो सके। किसानों के लिए ई–गवर्नेंस के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी का प्रयास किया जायेगा। वर्ष 2015–16 में 225.61 लाख का आवंटन दोबारा किया गया। भारत सरकार ने किसान पोर्टल के द्वारा किसानों के लिए हिंदी भाषा में अब फ्री SMS सेवा शुरू की है। जिससे किसानों को कृषि संबंधी जानकारी SMS के जरिए दी जा सके और इसका प्रचार–प्रसार सोशल मीडिया के द्वारा किया जाये' ।[4]

(ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

'भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि योजना को लागू किया। यह योजना कर्जदार किसानों और जरूरतमंद किसानों के लिए शुरू की है। यह योजना रबी की फसलों के लिए सन 1999 से प्रदेश भर में Agriculture Insurance Company of India के द्वारा चलाई जा रही है। साल 2016 में खरीफ की फसलों के लिए जिला स्तर पर तकनीकी समिति फसलों के नुकसान के आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करती हैं। इस योजना के अंतर्गत जिले की हर तहसील स्तर पर फसल कटाई के मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर बीमा का आंकलन किया जाता हैं। फसल के आंकड़े बीमा कम्पनी खरीफ के मौसम में 31 जनवरी और रबी के मौसम में 31 जुलाई तक उपलब्ध करती हैं, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार 50%50 फीसदी का अनुदान देती है। प्रदेश में 01 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसल को 2016–17 के लिए मान्य किया गया है' ।[5]

(घ) किसान मित्र ट्रेनिंग योजना

'इस योजना के द्वारा खेती संबंधी तकनीकी जानकारी ट्रेनिंग के जरिए किसानों को दी जाती हैं। इस योजना में विशेष ट्रेनिंग के जरिए किसानों को कृषि संबंधी जानकारी दी जाती है, जिनको किसान मित्र के रूप में नई पहचान मिलती है। इस योजना को ग्रामीण स्तर पर किसानों के लिए उनके जीवन में बदलाव लाने और अच्छी किस्म की फसल पैदावार संबंधी तकनीक के बारे में ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाकर पूरे प्रदेश में लागू किया गया। किसान मित्र का चयन हर गांव से किया जाता है, जिनको खेती के लिए तकनीक और योजनओं की जानकारी देकर ट्रेंड किया जाता हैं ताकि ये अपने गांव के किसानों के बीच आपसी संबंध बनाकर उनका सहयोग कर सके। किसान मित्र किसानों को कृषि से जुडी सूचनाओं को उनकी भाषा में प्रचार–प्रसार करता हैं ताकि किसानों को फसलों के बारे में दी गई जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ सके' ।[6]

(च) एम–किसान एसएमएस पोर्टल

'एम–किसान एसएमएस पोर्टल भारत का पहला ऐसा पोर्टल है। जिसके जरिए किसानों को कृषि संबंधी सूचनाएं मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। अक्टूबर 2013 तक भारत में लगभग मोबाइल ग्राहकों की संख्या लगभग 87 करोड़ तक आंकी गई, लेकिन वर्ष 2014 तक ट्राई आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण भारत में लगभग 38 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन है। देश में इन्टरनेट की पहुंच कम होने पर भी अब तक लगभग नौ करोड़ किसान परिवारों को मोबाइल संदेश भेजे जा चुके है। एम–किसान एसएमएस पोर्टल द्वारा किसानों को उनकी भाषा के आधार पर सन्देश भेजे जाते है, हालांकि यह पोर्टल केंद्र और राज्य सरकार की मदद से कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। कृषि क्षेत्र को ई–गवर्नेंस सेवा द्वारा विस्तार देने के लिए किसानों तक इसकी पहुँच बनाने के लिए अलग–अलग तरीकों से परिकल्पनायें की गई है, जिसमें पिको प्रोजेक्टर और छोटे उपकरण को कर्मचारियों की पहुंच

के साथ विभागीय कार्यालयों में स्क्रीन कियोस्क, एग्रीकल्चर क्लिनिक, मास मीडिया, कॉमन सर्विस सेंटर, किसान कॉल सेंटर और इन्टरनेट को शामिल किया गया है, हालांकि इन्टरनेट के बिना मोबाइल टेक्नोलॉजी कृषि को विस्तार देने में सबसे शक्तिशाली माध्यम बताया जा रहा है, जो किसानों के लिए सबसे सस्ता साधन भी माना जा रहा है'।[7]

(छ) एमपी किसान मोबाइल ऐप

'मध्यप्रदेश सरकार किसानों के लिए एमपी किसान मोबाइल ऐप कृषि से जुडी जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराती है। एमपी किसान मोबाइल ऐप पर खसरा खतौनी और नक्शे की प्रतिलिपि जैसी सेवायें उपलब्ध है। जिस पर किसानों द्वारा उगाई गई फसलों के रिकॉर्ड की जानकारी भी उपलब्ध कराता है जिसमें फसल बीमा से लेकर सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत फसलों की खरीद के भाव भी उपलब्ध कराता है। इस ऐप के जरिए विभागीय योजनाओं से लेकर फसल बीमा की सूचना और सवाल–जवाब जैसे लिंक उपलब्ध है, जो किसानों के फायदेमंद साबित हो रहा है। साथ ही साथ राज्य सरकार समय–समय पर किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा समाधान कराने में मदद करती है।

(ज) मध्यप्रदेशः किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800–180–1551

केंद्र सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और अच्छी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए "किसान कॉल सेंटर" नाम से मोबाइल हेल्पलाइन की शुरुआत की, जिसका टोल फ्री नंबर 1800–180–1551 है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2004 को दिल्ली में की गई थी। किसान कॉल सेंटर का संचालन शुरूआती दौर में कृषि मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली से होता था। किसान कॉल सेंटर की बढ़ती लोकप्रियता और इसके अच्छे परिणामों को देखते हुए सरकार ने देश में जगह–जगह 14 किसान कॉल सेंटर केंद्र खोले हैं। किसान कॉल सेंटर का मुख्य उद्देश्य मोबाइल सेवा के माध्यम से उन छोटे किसानों तक पहुँच बनाना हैं, जिनको सही में कृषि की जानकारी का आभाव हैं।

मध्यप्रदेश में किसान टोल फ्री नंबर 1800–180–1551 की शुरुआत 11 अप्रैल 2004 को जबलपुर में की गई। जिसकी पहुँच मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में हैं, जहां किसानों को क्षेत्रीय भाषा के आधार पर कृषि से जुड़ी फसल, मौसम और मंडी भाव जैसी सम्बंधित जानकारी दी जाती हैं। Kisan Knowledge Management System (KKSM) सॉफ्टवेयर की मदद से उन किसानों की बेसिक जानकारी को फीड किया जाता है, जो पहली बार किसान कॉल सेंटर में कॉल करते है। किसानों को उनकी भाषा में ही SMS भेजें जाते है, ताकि किसान दी हुई जानकारी से वंछित न हो सके। किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन 1551 में लगभग 62 लोगों की एक अनुभवी टीम 3 शिफ्ट में काम करती है, जिसमें एक इन चार्ज, एक लोकेशन हेड और एक सुपरवाइजर, Farm Tele Advisor (FTA) के रूप में होते है। दिनभर में जहां 2500 से 3000 कॉल आती हैं। किसान कॉल सेंटर पर ज्यादातर फसलों में होने वाली बीमारियों से जुड़ी सबसे ज्यादा कॉल आती हैं, जिसका समाधान लगभग 80 से 90% Mobile फोन पर या SMS के माध्यम से किया जाता है। किसान कॉल सेंटर द्वारा मिलने वाली जानकारी से प्रदेश का किसान लगभग 60–65 फीसदी सहमत है। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए हाल ही में Kisan Suvidha Mobile App और Crop Insurance Mobile App सेवा की शुरूआत की है। मध्यप्रदेश के पढ़े–लिखे किसान अब धीरे–धीरे Mobile Apps के जरिए कृषि से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर लेने लगे है'।[8]

(झ) आत्मा (ATMA: Agriculture Technology Management Agency)

'केंद्र सरकार ने "आत्मा" प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2004–05 में की थी। आत्मा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य "कृषि विज्ञान केंद्र" के माध्यम से किसानों को न्यू टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना साथ ही किसान स्कूल के जरिए किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना और कृषि तकनीकी का प्रचार प्रसार करना होता है। आत्मा प्रोजेक्ट किसान स्कूल के माध्यम से 25 किसानों को कृषि तकनीकी और सॉफ्टवेर ऑफ वीट इंटेंसिटी (SWI) के जरिए गेंहूँ फसल की पैदावारी बारे में जागरूक किया जाता है। फिर इन 25 किसानों द्वारा हर एक ग्रुप में 25–25 किसानों को किसान स्कूल के जरिए गांव–गांव जाकर बाकी किसानों को जागरूक किया जाता है और इस तरह से इस तकनीक का प्रचार प्रसार होता है।

मध्यप्रदेश में 'आत्मा प्रोजेक्ट' राज्य के करीब 15 पिछड़े जिलों में आर्गेनिक फार्म पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। केंद्र सरकार ने आत्मा को आर्गेनिक फार्म रजिस्ट्रेशन के लिए नोडल एजेंसी बनाया है, जो लाइसेंस बांटती है। नोडल एजेंसी और लाईसेंस ऑथोरिटी, आत्मा पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के तहत काम करती है। आत्मा प्रोजेक्ट सूचना प्रोद्योगिकी के जरिए कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ मिलकर भी काम करती है, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों के मोबाइल फोन नंबर लेकर आते है और फिर उनका एक डाटा बेस तैयार करके, मोबाइल सेवा के जरिए कृषि तकनीक से जुडी जानकारियां समय–समय पर भेजते है। वन–वे कम्युनिकेशन द्वारा किसानों से जुड़ी जरूरी चीजों को ध्यान में रखकर एक हफ्ते में तीन SMS भेजे जाते है। मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए नई तकनीकियों की जानकारी भी शेयर की जाती है।

राज्य के हर जिले में आत्मा एक ऐसी प्रबंध निकाय (Governing Body) है। जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है और कृषि विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। प्रदेश का प्रभारी मंत्री हर जिले से करीब तीन या चार किसानों का चयन करता है, ताकि वे बाकी किसानों का प्रतिनिधित्व कर सके। हर जिले में किसानों की एक कमेटी गठित की जाती है, जिसमें District Farmer Advisory Committee (DFAC), Block Level Advisory Committee (BLAC), District Action Plan (DAP), Block Action Plan (BAP) किसानों को समय–समय पर सुझाव देती है। भोज आत्मा समिति द्वारा कलेक्टर की अध्यक्षता में ट्रांजेक्शन किया जाता है, जो समय–समय पर उन किसानों को 10 से 50 हजार रूपये तक की होती है। हर दो गांव पर एक किसान–मित्र प्रोत्साहन राशि देती है।

आत्मा प्रोजेक्ट के प्रचार–प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम किसान–मित्र ही होता है। किसान–मित्र का चयन गांव के ही किसी योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे अपने क्षेत्र की अच्छी जानकारी नियुक्त किया जाता है, जिसका काम मिट्टी परीक्षण से लेकर किसान स्कूल और संगोष्ठी का आयोजन कराना होता है। भोपाल जिले में करीब 173 किसान–मित्र सक्रिय है। जिनके माध्यम से आत्मा प्रोजेक्ट ने जिले के करीब 35 हजार किसानों तक अपनी पहुँच बना ली है। जिले में अब तक 27 हजार किसान इस प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड हैं। इसीलिए इन किसान–मित्रों की अच्छी परफॉरमेंस को देखते हुए सरकार हर वर्ष इन्हें 6 हजार रूपये की वार्षिक राशि देती है'।[9]

IV निष्कर्ष

राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की तमाम कृषि संबंधी जानकारी किसान कल्याण और कृषि विभाग की वेबसाइट http//mpkrishi.mp.gov.in पर मौजूद है। मध्यप्रदेश का जागरूक किसान ज्यादातर वेबसाइट के माध्यम से जानकारियों को इकठ्ठा करता है। प्रदेश सरकार कृषि विभाग की योजनाओं के प्रचार–प्रसार में ज्यादातर ई–गवर्नेंस माध्यम का सहारा ले रही है। राष्ट्रीय स्तर पर मोबाइल शासन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार मोबाइल गवर्नेंस के माध्यम से किसानों को समय–समय पर किसान कॉल सेंटर और आत्मा प्रोजेक्ट के द्वारा सुविधा देती है। किसानों के लिए मोबाइल गवर्नेंस सबसे सस्ता और बेहतर विकल्प उभरकर सामने आया है, जो किसान उपभोक्ताओं के लिए सबसे अच्छा साधन भी है। सरकार मोबाइल गवर्नेंस के माध्यम से किसानों को "आत्मा प्रोजेक्ट" और किसान कॉल सेंटर की मदद से संवाद स्थापित कर रही है।

एक अध्ययन के दौरान यह बात सामने आई है कि कृषि संबंधी जानकारी ई–गवर्नेंस की तुलना में मोबाइल गवर्नेंस से ज्यादा जल्दी मिलती है। सरकार की ज्यादातर योजनाओं को अभी ई–गवर्नेंस के माध्यम से प्रचार प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन मोबाइल गवर्नेंस की भूमिका अभी इन योजनाओं के प्रचार प्रसार में उतना नहीं है। आत्मा प्रोजेक्ट किसानों को मोबाइल सेवा में जरिए कृषि तकनीक से जुड़ी जानकारी समय–समय पर SMS द्वारा भेजी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप पर कृषि तकनीकी से जुड़ी नई तकनीकी की जानकारियों को भी शेयर किया जाता है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार की मदद से किसान कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। जहां कृषि संबंधी समस्या का समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है।

केंद्र सरकार की मदद से किसानों के लिए इफ्फको किसान मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसके जरिए ज्यादातर किसान खेतीबाड़ी, मंडी–भाव, मौसम और कृषि विशेषज्ञों से सलाह आदि जैसी तत्काल सुविधा का लाभ ले सकते है। जहां किसान अपना मोबाइल नंबर, जिले और राज्य का नाम भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है। केंद्र सरकार आत्मा प्रोजेक्ट द्वारा किसानों को कृषि संबंधी और कृषि से जुड़ी तकनीकी द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति को उभारने में मदद करती है। आत्मा प्रोजेक्ट की मदद से "किसान स्कूल" किसानों को जागरूक करने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और राज्य सरकार ने किसान कॉल सेंटर और टोल फ्री नंबर 1800–180–1551 सेवा की शुरूआत 21 जनवरी 2004 को की। इफ्फको किसान मोबाइल ऐप द्वारा उपभोक्ता हेल्पलाइन और किसान कॉल सेंटर से भी जुड़ सकते है, ताकि किसानों को सूचना संचार तकनीकी का पूरा लाभ मिल सके साथ ही वे कृषि विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते है।

सन्दर्भ सूची

[1] कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (मध्यप्रदेश) प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष (2016–17) : पृष्ट– 1–2

[2] पृष्ट–5 वहीं

[3] पृष्ट–7–12 वहीं

[4] पृष्ट–15 वहीं

[5] पृष्ट–15 वहीं

[6] पृष्ट–18–19 वहीं

[7] www.mpkrishi.mp.gov.in/ 08 October 2016/3.20 PM, www.M-Kisan.gov.in/ 26 Dec. 2018/7.26 PM

[8] MP Kisan Mobile App

[9] Kisan Suvidha Mobile App